आयुक्तों की संक्षिप्त रिपोर्ट

12 फरवरी, 2004

(भारत सरकार व अन्य के विरुद्ध पी० यू० सी० एल० द्वारा दाखिल याचिका के संबंध में)

भाग 1 : आयुक्तों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई अभी तक की रिपोर्ट[1] के प्रमुख मुद्दों का सारांश

क्रमांक	आयुक्तों की रपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख मुद्दें	स्रोत
1 मध्याहन भोजन योजना		
कोर्ट आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2001ः छः महीने की अवधि के अदंर सभी सरकारी एवं सह–सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पके हुए मध्याहन भोजन योजना का विस्तार किया जाए।		
1:1	कोर्ट के आदेशों के दो वर्ष पश्चात् भी बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और असम में मध्याहन भोजन का क्रियान्वन नहीं हुआ।	चोथी रिपोर्ट पेज सख्यां. 4–7 और मानचित्र
1:2	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तारांचल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में आंशिक क्रियान्वन।	तीसरी रिपोर्ट पेज सख्यां 6–8 दूसरी रिपोर्ट पेज सख्यां 2–10
1:3	भोजन तैयार करने, रसोईघर की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रबन्ध व भंडारण के लिए गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सभी राज्यों को आर्थिक आवंटन में वृद्वि करने के लिए कहा जाए। अभी बजट आवंटन राज्यों में अलग–अलग है जैसे राजस्थान में रु0 0.50, कर्नाटक और तमिलनाडु में रु0 0.34 प्रति बच्चा और कुछ राज्यों में इससे भी ज्यादा। अन्वेषण अध्ययन दर्शाते है कि आर्थिक आवंटन की सामान्य वृद्वि से भोजन की गुणवता में महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों के अध्ययन दर्शाते हैं कि मध्याहन भोजन के साथ मिलकर साधारण स्वास्थ्य हस्तक्षेप (कृमिनाशक, लोह तत्व, विटामिन A की गोलियां आदि) भी बाल पोषण पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इस तरह के सफलतापूर्ण हस्तक्षेप गुजरात में किए गए जिसकी कुल लागत केवल 15 रुपए प्रति बच्चा सालाना है।	चोथी रिपोर्ट पेज सख्यां.4–7
1:4	बच्चों के माता–पिता से रुपान्तरण मूल्य में अशंदान के लिए कहा गया। इस तरह की शिकायतें महाराष्ट्र और मिजोरम से प्राप्त की गई।	स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां 1–2
1:5	रसोइए की नियुक्ति में दलितों के साथ भेदभाव। हाल के अध्ययन व आयुक्तों को भेजी गई रिपोर्ट राजस्थान, कर्नाटक एंव छत्तीसगढ़ में ऐसा होने के सबूत पेश करती हैं।	चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां 4–7

[1] **स्रोत** – फोलो अप रिपोर्ट दिनांक जनवरी 2004, स्पेशल रिपोर्ट दिनांक दिसम्बर 2003, चौथी रिपोर्ट अगस्त 2003, डा. सक्सेना की तीसरी रिपोर्ट दिनांक 2003, डा. सक्सेना की दूसरी रिपोर्ट दिनांक फरवरी 2003, कमिश्नरस की पहली रिपोर्ट दिनांक अक्तूबर 2002।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">यदापि सितम्बर, 03[2] कृषि भवन में हुई बैठक में केन्द्र ने यह स्वीकार किया कि एक नए दिशानिर्देश और आदेश जारी किए जाएं जिससे राज्य स्तर पर दलितों के इसमें आरक्षण की संभावना बने, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कोष से रसोईघर बनाने के लिए रकम खर्च करने की अनुमति मिले और एस.एच.जी (Self Help Groups) के जरिए पके हुए भोजन और स्वास्थ परिपूरकों का वितरण हो। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कदम आगामी नही लिया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ICDS – समेकित बाल विकास कार्यक्रम</td></tr>
<tr><td colspan="3">कोर्ट आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2001ः प्रत्येक बस्ती में एक आगनवाडी केन्द्र हो और 0–6 साल के प्रत्येक बच्चे को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरियों को, इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।</td></tr>
<tr><td>2:1</td><td>सभी बस्तियों में इसका विस्तार नही हुआः लगभग 14 लाख निवास स्थानो में से केवल 6.05 लाख में आँगनवाडी केन्द्र होने की सूचना मिली। महिला एंवं बाल विकास विभाग ने सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश की वर्तमान दिशानिर्देश के अन्तर्गत व्याख्या की जोकि निर्धारित परियोजना क्षेत्रों पर ही लागू होती है और गावों में आगनवाड़ियों के विस्तार की बात नही कहती, बस्तियों की तो बात छोड ही दीजिए इसे दिशानिर्देश मान्यता नही देते। विभाग का मानना है कि स्वीकृत केन्द्रो को क्रमशः चालू किया जाएगा[3]।</td><td>स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां 5–6

चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां:9</td></tr>
<tr><td>2:2</td><td>सभी योग्य लाभार्थियों तक इसका विस्तार नही हुआः परिणामस्वरुप केवल 3.4 करोड़ बच्चे ही परिपूरक पोषण का लाभ उठा रहे हैं। हांलाकि सिद्वान्ततः इतनी संख्या होनी चाहिए पर योजना का वास्तविक विस्तार कम है। राज्य समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पोषण के मूल्य के लिए पर्याप्त रकम प्रदान नही करती। यह इस वर्ग समूह के बच्चों की संख्या के करीब कहीं भी नही है (15 करोड़ से ऊपर); ना कुपोषित बच्चों की संख्या के (8.5 करोड); ना ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित बच्चों की संख्या के (6 करोड); किशोरियों का प्रतिशत और भी कम है क्योंकि पूरे देश में 5700 ब्लॅाक में से किशोरियों के लिए केवल 2000 ब्लॅाक ही स्वीकृत है। जिनमें चालू परियोजनाओं की संख्या और भी कम है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वीकार किया कि कोर्ट के आदेश के अनुरुप प्रत्येक लाभार्थी को इसमें शामिल नही किया जा सका है। इसका कारण यह है कि दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ सिर्फ वंचित परिवारों को ही दिया जा सकता है। साधनों की कमी के कारण कोर्ट के आदेशानुसार योजना का विस्तार सुनिश्चित नही किया जा सकता। अतिरिक्त साधनों के लिए विभाग का अनुरोध नामंजूर कर दिया गया।</td><td>तीसरी रिपोर्ट पेज सख्यांः 12–14</td></tr>
</table>

[2] **स्रोत** – 29 सितम्बर 2003, कृषि भवन में आयुक्तों व सम्बन्धित विभाग के बीच हुई बैठक के मिनिट्स जो कोर्ट को पहले ही समर्पित किए जा चुके हैं।

[3] **स्रोत** – 25 नवम्बर 2003, शस्त्री भवन में आयुक्तों व महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच हुई बैठक के मिनिट्स ।

2:3	**समेकित बाल विकास कार्यक्रम के विस्तार में महत्वपूर्ण अन्तर्राज्य विषमताः** केंद्र मापदंडो के अनुसार परिपूरक पेाषक कार्यकम में 1000 की आबादी पर 100 लाभार्थियों पर एक केन्द्र होना चाहिए जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु,, असम, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश का औसत पूरे देश के औसत 38 से भी कम है। स्पष्ट है कि इस सेवा के मूल न्यूनतम प्रबन्घ के लिए यह राज्य पर्याप्त आवंटन नही कर रहे।	चौथी रिपोर्ट पेज सख्यांः9
2:4	**जाली सूचनाः** महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों ने कुपोषण के मामले बहुत कम करके बताए हैं जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सवेंक्षण द्वारा जिला स्तर से एकत्रित किए गए आंकड़ों से पूर्णता भिन्न और कम है।	तीसरी रिपोर्ट पेज सख्यांः9
3 अन्त्योदय अन्न योजना		
कोर्ट आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2001ः छः चयनित प्राथमिक समूह जिनमें अनुसूचित जनजाति, विधवा, गरीब वृद्व व्यक्ति अथवा महिला, वयस्क विक्लागों वाले परिवार और आजीविका के सुनिचित साधनो से वंचित लोगों को अन्त्योदय कार्ड दिए जाए।		
3:1	**प्राथमिकता वाले समूहो को हक के रुप में कार्ड नही दिए गए** प्रथम, ऊपर से निर्धारित कोटे के अनुसार कार्ड दिए जाते हैं जिसमें बदलाव नही करना निश्चित है। यदि योग्यता प्रमाणित हो तो इस श्रेणी में आने वाले सभी लोगों को अन्त्योदय कार्ड मिलना चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की गयी यात्राओं में हकदार परिवारों के छूटने के उदाहरण मिले। दूसरा, गहन प्राथमिकता वाले समूहो की गहन आबादी वाले क्षेत्रों में प्रयास नही किए गए। बहुत से राज्यों में जिनमें हरयाणा, मेघालय व उत्तरांचल हैं, में अन्त्योदय कार्ड के वितरण में 15% से सीधे 23% की वृद्वि वहाँ की वर्तमान बी पी एल कार्ड के आधार पर की गई जिसमें इसका ध्यान नही रखा गया कि अलग–अलग जिलो में प्राथमिकता वाले समूहों की संख्या अलग–अलग हो सकती है। परिणामस्वरूप, अति गरीब क्षेत्रों में जहाँ कार्ड की जरूरत ज्यादा है, इस वंचित समूहों का बहुत छोटा भाग ही इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा पाया है। उदाहरण के लिए यह समस्या मध्य प्रदेश के गांव दही में, छत्तीसगढ के लखिनापुर ब्लॉक में और महाराट्र के कटकरी जनजाति समूह में देखने को मिली।	स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां.2–3, चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां 10–13, तीसरी रिपोर्ट पेज सख्यां 11–12

3.2	कागज पर गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवारो को ही अन्त्योदय कार्ड पाने के लिए पुर्व शर्त निर्धारित की गई है कि सम्बन्ध परिवार गरीबी रेखा की चयनित सूची में हो। केन्द्रीय दिशानिर्देश गरीबी रेखा की सूची को ही येाग्यता मापदन्ड के तौर पर मान्यता देते हैं। जिससे कई जरुरतमंद परिवार छूट जाते है। क्योकि गरीबी रेखा सूची बनाने में गड़बड़ियाँ होती हैं।	स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां 2–3 चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां 10–13
3.3	**कई राज्यों में चयन एवं कार्ड के वितरण प्रकिया को पूरा करने में देरी** : यह प्रक्रिया केवल पाँच राज्यों में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सिक्किम व नागालैंड में पूरी हुई।	स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां 2–3 चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां 10 – 13
4. रोजगार योजना		
4.1	बजट 2002–03 के समय घोषित की गई जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना को आरम्भ करने के प्रयास नही किए गए। इस योजना में 131 सबसे ग़रीब जिलों में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बात कही गई थी। अन्न का अधिकार एवं काम के अधिकार के परस्पर महत्वपूर्ण सम्बन्ध को देखते हुए इन क्षेत्रों में, यह योजना भूख से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकती थी।	स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां 4–5 चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां 16 – 18
4.2	**बड़े पैमाने पर मशीनिकरण और रोजगार में मजदूरों का विस्थापन** मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में राहत कार्यों में मशीनों का प्रयोग पाया गया।	चौथी रिपोर्ट पेज सख्यां 16 – 18
4.3	मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में एस.जी.आर.वाई. एवं अन्य राहत कार्यों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।	
4.4	मई, जून और जुलाई 2003 में एस.जी.आर.वाई. के आबन्टन को दूगना करने के कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ।	
4.5	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में चल रहे रोजगार कार्यों में भ्रष्टाचार व फर्जी मस्टर रोल पाए गए।	चौथी रिपोर्ट (राज्य रिपोर्ट) दूसरी रिपोर्ट
4.6	एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत अनाज का कम उठाव और रकम का कम उपयोग गरीब को राहत नही दे पाता। रकम के उपयोग के राष्ट्रीय औसतन 76 प्रतिशत (2002–03) की तुलना में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, आसाम, झारखण्ड और बिहार का औसत कम था! योजना के अन्तर्गत अनाज के उठाव का भी कुछ ऐसा ही चित्र मिला। राष्ट्रीय औसत 68 प्रतिशत की तुलना में, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, त्रिपूरा, सिक्किम, मेघालय, बिहार, आसाम और झारखण्ड का प्रदर्शन बहुत ही कम था!	चौथी रिपोर्ट (राज्य रिपोर्ट) तीसरी रिपोर्ट पेज सख्यां 17– 19 दूसरी रिपोर्ट पेज सख्यां 10– 14 पहली रिपोर्ट

4.7	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज़मीनी जाँच पड़ताल में मज़दूरी का भुगतान बकाया पाया गया। महाराप्ट्र के कई स्थानों पर, अनाज के कूपन नहीं दिए गए, ऐसा आयुक्त श्री संकरन ने स्वयं अपनी छानबीन में पाया।	
5. राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना और अन्नपूर्णा		
कोर्ट आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2001 : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का क्रियान्वन दिशानिर्देश अनुसार हो! हर महीने की 7 तारीख तक पेंशन दी जाए और अन्नपूर्णा लाभार्थियों का चयन एवं अनाज वितरण किया जाए!		
5.1	**कई राज्यों में अन्नपूर्णा योजना बन्द** की गई और लाभ वापिस लिया गया। इसमें मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, केरला, मणिपुर, नागालैंड, उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल[4] शामिल है कई मामलों में बिना किसी वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था के ऐसा किया गया। आयुक्तों ने योजना चालू करने की सलाह दी जिसे लागू नही किया गया, मुख्यतः मध्यप्रदेश में!	स्पेशल रिपोर्ट पेज सख्यां 3–4 चौथी रिपोर्ट पेज . 14 – 15 तीसरी रिपोर्ट पेज . 15– 16
5.2	भारत सरकार ने प्रतिवर्ष बजट में से राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) का आबंटन घटा दिया है। वर्ष 2003–04 में तीन योजनाओं का कुल आवंटन केवल रु. 676 करोड़ है, जिसमें अन्नपूर्णा के भी लगभग 50 करोड़ रुपए शामिल है। इसके विपरीत अन्नपूर्णा सहित लगभग 1482 करोड़ रु. की आवश्यकता है। परिणामतः एक विशाल भुगतान बकाया होगा। अपर्याप्त रकम जारी करने के कारण बिहार में 1997–98 पेंशनधारियों की संख्या 7.7 लाख से घट कर 2002–03 में केवल 4.9 लाख रह गई। इसी तरह पश्चिम बंगाल मे, लाभार्थियों की वर्तमान संख्या की मजदूरी के भुगतान के लिए लगभग रुपए 3100 की आवश्यकता है, जबकि भारत सरकार द्वारा केवल रुपए 2500 का आबंटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत रुपये 290 करोड़ की आवश्यकता है जबकि वर्प 2002–03 में केवल 52 करोड़ ही दिए गए। पश्चिम बंगाल के मामले में भारत सरकार द्वारा प्राप्त अपर्याप्त रकम की वजह से 14012 उम्मीदवारों में से केवल 8000 लाभार्थियों का ही भुगतान किया जा सका! यह सब राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से अधिक आबंटन के लिए बार–बार किए गए अनुरोध के बावजूद हुआ! कम रकम आबंटित करने से कम लाभार्थियों की पहचान होती है। और अगली बार फिर कम रकम आबंटित होने से एक दुष्चक्र बन जाता है।	स्पेशल रिपोर्ट पेज 3–4, चौथी रिपोर्ट पेज . 14–15

[4] राज्यों की मांग पर खाद्य एवं वितरण विभाग द्वारा अनाज आवंटन। 26.6.03 को भारतीय खा्द्य निगम (एफ.सी.आई) द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित राज्यों को वर्ष 2002–03 के लिए अनाज आवंटन नहीं किया गया।

5.3	**पेंशन और अन्नपूर्णा के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का अपर्याप्त विस्तारः** पेंशन का विस्तार दुगना होना चाहिए जिससे सभी गरीब वृद्ध इस योजना का लाभ ले सकें। वर्तमान में भुगतान की जाने वाली पेंशन राशि रु. 75 से बढ़ा कर रु. 250 की जाए और पेंशनधारियों की संख्या दुगनी की जाए। सभी योजनाओं में पेशन का वितरण ज्यादा सक्षम दिखाई देता है। इसमें भ्रष्टाचार भी कम दिखाई पड़ता है। इसीलिए वर्तमान स्तर पर इस योजना का विस्तार आवश्यक है।	चौथी रिपोर्ट पेज . 14 – 15 तीसरी रिपोर्ट पेज . 14 – 16 दूसरी रिपोर्ट पेज . 16
5.4	**राज्यों द्वारा अनाज के हक के वितरण में लम्बी देरी** : मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में ज़मीनी यात्राओं में पाया गया कि पेंशन का वितरण हर महीने नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये बिहार में, कैबिनेट से स्वीकृति में देरी की वजह से पेंशन का भुगतान मध्य अगस्त तक किया गया। जिसमें दो महीने से भी अधिक की देरी थी। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत यू.पी., बिहार, और एम.पी. में कई बार सहायता राशि बच्चे के जन्म के बाद दी गई। जो दिशानिर्देश के विपरीत है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बिहार में आवश्यक राशि में दो वर्ष का भुगतान बकाया है।	चौथी रिपोर्ट पेज . 14–15
6. लक्षित जनवितरण प्रणाली		
6.1	हाल ही में राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणानुसार बी.पी.एल. परिवारों के चयन एवं पहचान में कठिनाइयाः महाराष्ट्र, यू.पी. और पश्चिम बंगाल में की गयी जमीनी यात्राओं में देखा गया कि कई मामलों में गलत चयन की वजह से योग्य परिवार रह जाते है। इससे परिशानियां बहुत बड़ जाती हैं। क्योंकि बी.पी.एल. स्तर में चयनित होने में विफलता से अन्य कई लाभ उठाने से भी यह वंचित रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना बी.पी.एल. में चयन अन्य योजनाओं जैसे अन्त्योदय, एन. एफ.बी.एस., एन.एम.बी.एस. एन.ओ.ए.पी.एफ के लाभ का हक इन्हें नहीं मिल सकता।	चौथी रिपोर्ट पेज 8 – 11 तीसरी रिपोर्ट पेज 20– 21 दूसरी रिपोर्ट पेज 14 – 16
6.2	**राज्यों द्वारा शहरी गरीबों को राशन कार्ड वितरण से इन्कारः** जिसमें शहरी बेघर, विस्थापित मजदूर और गरीब बच्चे व औरतें शामिल है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, दिल्ली और असम ने निवास का कोई सबूत ना होने की वजह से शहरी बेघरों को राशन कार्ड जारी करने से इन्कार कर दिया।	चौथी रिपोर्ट पेज 18 – 19 तीसरी रिपोर्ट पेज 20– 21

6.3	**बी.पी.एल. अनाज का कम उठाव** : वर्ष 2002 – 03 में कोई भी राज्य प्रत्येक बी.पी.एल परिवार के हक का पूरा अनाज 420 कि.ग्रा. उठाने में सफल नहीं हो सका। यद्यपि कुछ राज्यों का प्रदर्शन खासकर खराब रहा जैसे यू.पी., बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तरांचल, एम.पी. और छत्तीसगढ का प्रदर्शन औसत से कम रहा (50 कि.ग्रा. प्रति बी.पी.एल. व्यक्ति प्रति वर्ष)! वर्ष 2002–2003 में पूरे देश का अनाज का उठाव आबंटन प्रतिशत के हिसाब से केवल 59 प्रतिशत रहा। राज्यों का प्रदर्शन इसलिए खराब रहा कि उन पर गड़बड़ बी.पी.एल. सूची, ज्यादा मूल्य, भ्रष्टाचार, अनाज का रिसाव, राशन दूकानों का अनियमित रूप से खुलना और अनाज के वितरण, परिवारों के अनाज को किश्तो में खरीद पाने में असक्षम, प्रशासनिक अक्षमता और अपर्याप्त मूलढांचे के कारण खाद्य निगम एफ.सी.आई. से समय पर कोटा उठाने में असमर्थ होने का प्रभाव है!	तीसरी रिपोर्ट पेज 8–11
7. निर्यात		
7.1	निर्यात इस आश्वासन के बावजूद जारी है कि अनाज आधारित घरेलू कल्याण योजनाओं की कीमत पर निर्यात नही किया जाएगा। इसके बावजूद अनाज उपलब्ध होते हुए भी अन्नपूर्णा, एस. जी. आर. वाई. और अन्त्योदय आबंटन बढ़ाने पर विचार नही किया गया। अप्रैल 2002 से जून 2003 के मध्य लगभग 15 मीलियन से भी ज्यादा अनाज बी.पी.एल. मूल्य पर निर्यात किया गया। अगर यह निर्यात किया गया अनाज वर्प 2002–03 में कल्याण योजनाओं जैसे मध्याहन भोजन और एस.जी.आर.वाई में लगाया जाता तो इन योजनों का विस्तार दुगुना होता। खाद्य एवं वितरण विभाग नें एक निजी बात–चीत के अन्तर्गत इन सफल योजनाओं जैसे अन्त्योदया के आबंटन में निर्यात कम करने के आधार पर बढोतरी करने से इन्कार कर दिया। बाद में कृषि भवन में एक बैठक के दौरान निर्यात बन्द करने की सहमति हुइ, फिर भी वर्तमान में यह जारी है।	चौथी रिपोर्ट पेज – 20 तीसरी रिपोर्ट पेज – 5
8. पारदर्शिता और जानकारी प्राप्त करने हेतू		
कोर्ट आदेश दिनांक नवम्बर 2001 : कोर्ट के आदेशो को क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करके प्रदर्शित किया जाए। पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों की सूची और अन्य योजनाओं की जानकारी दूरदर्शन व रेडियो द्वारा प्रसारित की जाए! इसके अतिरिक्त ग्राम सभाएं खाद्य/रोजगार सम्बन्धि योजनाओं पर जन सुनवाईयां करें और रकम का गलत इस्तेमाल होने की रिपोर्ट मिलने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सही कार्यवाही की जाए। आदेश दिनांक मई 2002 : इसके अनुसार ग्राम सभाओं को अधिकार है कि वह योजना के क्रियान्वयन देखे व इससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सके।		

8.1	खाद्य व रोजगार से सम्बन्धित दस्तावेजों को जनता के सामने लाने से आमतौर पर इनकार किया गया। यहाँ तक कि आयुक्तों के प्रतिनिधियों को भी यह दस्तावेज नहीं दिए। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में आयुक्तों की टीम के दौरों के दौरान इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ आई। क्योंकि कुछ दस्तावेज जैसे मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर आदि से इन योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का पता चलता है। इसलिए इन्हें आसानी से उपलब्ध नही कराया जाता है।	स्पेशल रिपोर्ट पेज 6 –7 चोथी रिपोर्ट पेज 21–23
8.2	आयुक्तों के हस्तक्षेप के बावजूद दस्तावेजों का मूल्य अत्यधिक रखा गया। यह सरकारी कामों में जनता की भागीदारी निरुत्सहित करने का आसान तरीका है। मध्य प्रदेश में अधिकतर दस्तावेजो के लिए 2 रु. प्रति पेज फोटो–कॉपी के लिए जाते हैं, और मस्टर रोल के प्रति पेज के लिए इससे दस गुना अधिक लिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुक्तों की सलाह, जिसमें फोटो कॉपी की लागत एक रुपया से ज्यादा न हों कहा गया, का कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री को लिखे गए दो पत्रों का भी कोई जवाब नहीं मिला।	
8.3	संसद द्वारा पारित किए गए सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिसूचित नही किया गया। कई राज्यों ने सूचना के अधिकार का कानून भी नही बनाया।	
8.4	**जानकारी का प्रचार प्रसार** : विवरण जैसे लाभार्थियों की सूची की जानकारी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का क्षेत्रीय भाषाओं में विवरण, अनाज का मूल्य, मिलने वाले राशन के भण्डार को लगातार छुपा कर रखना और सार्वजनिक न करना। यह कुछ ऐसी जानकारियां है जो कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रमुख स्थानो जैसे राशन की दुकान, पंचायत भवन आदि पर प्रदर्शित नही की गई। मध्य प्रदेश में की गई जमीनी यात्राओं में पाया गया कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी कोर्ट के आदेशों की जानकारी नहीं है! जबकि हक की जानकारी, हक को पाने और उसे उपभोग करने का पहला कदम है।	स्पेशल रिपोर्ट पेज 6 –7 चोथी रिपोर्ट पेज 21–23 तीसरी रिपोर्ट पेज 23–24 दूसरी रिपोर्ट पेज 17

9. पश्चिम बंगाल के चाय बागान में भूख की स्थिति पर आयुक्तों की फोलो–अप रिपोर्ट		
9.1	हाल ही में उत्तर पश्चिम बंगाल के चाय बागान के पास किए गए अध्ययन में पाया गया कि उन गरीबों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने में राज्य असमर्थ है, जिन्हें पहले से ही रोजगार प्रदान करके कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट ने चाय के बागान में भूख और भुखमरी से बच्चे एंव वृद्वों को मृत्यु की घटनाओं को उजागर किया। सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई यह रिपोर्ट दर्शाती है कि पका हुआ मध्याहन भोजन कार्यक्रम शुरु नही हुआ था, स्वीकृत स्थानों पर समेकित बाल विकास कार्यकम्र केन्द्र कभी–कभी और अनियमित रुप से खुलते थे। एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत रोजगार न के बराबर प्रदान किया गया। जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विस्तार अपर्याप्त और अनिश्चित था।	फौलो अप रिपोर्ट

भाग – 2 मुख्य सिफारिशें

माननीय न्यायालय को हमारी उपर्युक्त बातों के आलोक में परामर्श :

मध्याह्न भोजन योजना

1. सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह आगामी शैक्षिक वर्ष अप्रैल 2004 शुरू होने तक सभी प्राइमरी स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन शुरू करें। वह राज्य भी जिन्होने यह योजना आशिंक रुप से लागू की है कोर्ट के 28 नवम्बर 2001 के आदेश को पूरी तरह क्रियांवित करें।

2. स्पप्ट किया जाए कि आदेश दिनांक 8 मई 2003 जिसमें आंशिक क्रियांवन की अनुमति दी गई थी सिर्फ एक आस्थाई कदम था। इसके अन्तर्गत अदालत का मुख्य उद्देश्य व्यापक स्तर पर सरकारी वं सह सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जल्द से जल्द मध्याह्न भोजन योजना चालू करना है।

3. केन्द्र को निर्देश दिया जाए कि वह आदेश जारी करे कि किसी भी परिस्थिति में, पके हुए पौप्टिक भोजन का रूपान्तरण मूल्य स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता–पिता से अशंदान के रुप में न वसूल किया जाए।

4. केन्द्र को निर्देश दिया जाए कि वह आदेश जारी करे जिसमे यह कहा जाए कि रसोइए एवं सहायक की नियुक्ति पर यदि दलितों के साथ भेद–भाव की शिकायतें मिले तो कठोरता से कदम उठाया जाए। केन्द्र से इस समाधान के लिए भी पूछा जाए कि भविष्य में अनुसूचित जनजाति को 50 प्रतिशत आरक्षण और उन रसोइए एवं सहायकों को वापिस नियुक्ति किया जाए जिन्हें जाति भेद–भाव के कारण हटाया गया।

5. राज्यों को निर्देश जारी किया जाए कि इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षा तक बढ़ाए और बाद में 10 वीं कक्षा तक जैसा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2003 को घोषणा की थी।

6. राज्य योजना के अन्तर्गत आर्थिक आबंटन में रुपान्तरण मूल्य कम से कम 1 रुपया प्रति बच्चा प्रति दिन रखें।

समेकित बाल विकास कार्यकम्र

1. केन्द्र को निर्देश जारी किया जाए कि वह एक नई मार्गदर्शिका व आदेश जारी करे जिसमें सभी राज्यों को आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2001 का पालन करने का निर्देश हो। जिसके अतंर्गत कहा गया है कि प्रत्येक बस्ती में एक आगंनबाड़ी केन्द्र हो जहाँ सात साल से कम आयु वर्ग के बच्चो, प्रत्येक किशोरी कन्याओं, गर्भवती महिलाओं

व धात्री औरतों को शामिल किया जाए। केन्द्र व राज्य, आदेशों की व्याख्या दिशानिर्देश के आई.सी.डी.एस. प्रकरण के साथ नहीं करेंगी। वर्तमान स्वीकृती केवल असुविधाजनक परिवारों के लिए ही है। यह श्रेणी केवल असुविधाजनक परिवार या चयनित संख्या की पूर्णगणना के लिए प्रतिबन्धित नहीं है।

2. राज्यों को निर्देश जारी किया जाए कि वह स्वीकृत बन्द पड़े आंगनबाड़ी केन्द्रों को चालू करने के आदेश जारी करे।

3. राज्यों को यह भी निर्देश जारी किया जाए कि इसी संदर्भ में आज्ञा पालन करते हुए निश्चित करें कि आंगनबाड़ी केन्द्र झुग्गियों और सभी शहरी बेसहारा महिलाओं व बच्चों की पहुँच में हो।

अन्त्योदय अन्न योजना

1. राज्यों को निर्देश जारी किया जाए कि आदेश दिनांक 8 माई 2003 का पालन करते हुए अन्त्योदय कार्ड के प्रवाह को तेजी से बढ़ाए, खास तौर से अनुसूचित जनजाति के लिए। कार्ड का वितरण सभी अनुसूचित जनजातियों को 4 हफ्ते में और अन्य प्राथमिक समूहों को 8 हफ्तों में हो जाना चाहिए। बेसहारा विधवाओं को खास प्राथमिकता दी जाए।

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वह पुनःविचारित दिशानिर्देश व आदेश जारी करे जो यह निश्चित करें कि योग्यता साबित होने पर विस्तृत अन्त्योदय कार्यकम्र में शामिल होने के लिए बी.पी.एल. कार्ड एक पूर्व निर्धारित शर्त की तरह लागू नही होगा।

3. भारत सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि वह अतिरिक्त अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराए यदि वास्तविक कार्ड संख्या सभी एकल महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों व अन्य प्राथमिक समूहों जो आदेश 8 मई 2003 में सूचित है के लिए अपर्याप्त हो।

रोजगार कार्यक्रम

1. भारत सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि वह कोर्ट के आदेश के एक महीने के भीतर जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना को चयनित 131 पिछड़े जिलों में लागू करे।

2. निर्देश जारी किया जाए कि प्रत्येक परिस्थिति में रोजगार कार्यों के लिए नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो। इसमें सूखा व राहत कार्य भी शामिल है।

3. केन्द्र को निर्देश दिया जाए कि वह आदेश जारी करे, जिसमें मजदूर विस्थापन व रोजगार कार्यो में मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध हो और इस क्रियान्वन की नजदीकी से जाँच की जाए।

निर्यात

भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह खाद्य निर्यात की नीति पर पुनः विचार करें और निर्यात को तभी आश्रय दे जब देश में सभी लोगों खासतौर से गरीब व बेसहारा वर्ग की खाद्य सम्बन्धि ज़रूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हों। निर्यात किए जाने वाले अनाज के प्रयोग से अन्नपूर्णा व अन्त्योदया में वृद्धि करे जिससे प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों को जैसे की कोर्ट का आदेश है, लाभ पहुंचाया जा सके।

अन्नपूर्णा

1. निर्देश दिया जाए कि अदालत द्वारा दिए गए आदेशों में कही गई कोई भी योजना खासतौर से अन्नपूर्णा योजना बिना किसी पूर्व सूचना के बन्द अथवा घटाई ना जाए। यदि इन योजनाओं में से कोई भी योजना बन्द की गई है तो राज्य इन्हें दुबारा से चालू करें।

2. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को निर्देश दिया जाए कि अन्नपूर्णा योजना को तत्काल चालु करे और 8 हफ्तों के अन्दर कोर्ट को सूचित करे।

राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा सहायता कार्यकम्र

1. भारत सरकार व राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार दुगुना करे।

2. भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह अपने बजट में एन.एस.ए.पी. के लिए पूरा आबंटन करे। वर्तमान में रु.1400 करोड़ से भी ज्यादा की ज़रूरत पर केवल रु. 680 करोड़ ही प्रदान किए गए। परिणामतः राज्यों का भुगतान बकाया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में भारत सरकार द्वारा प्रति पेंशनधारी को दी जाने वाली वर्तमान पेंशन राशि रु. 75 से बढ़ा कर रु. 250 की जानी चाहिए।

3. खाद्य सचिव, यूनियन आफ इण्डिया (यू.ओ.आई). और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव /प्रशासकों को निर्देश दिया जाए कि ऐसी रणनीति बनाए एवं लागु करे जिससे आन्तरिक बकाया पूरा किया जा सके। 31 मार्च 2004 तक आबंटन का उठाव व उपयोग निश्चित करे।

लक्षित जन वितरण प्रणाली

1. खाद्य सचिव यूनियन आफ इण्डिया (यू.ओ.आई). को निर्देश दिया जाए कि वह राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व प्रशासकों के साथ एक बैठक आयोजित करें। ऐसी रणनीति बनाए एवं लागु करे जिसमे लक्षित जन वितरण प्रणाली के हक का अनाज जरुरतमदों तक पहुचना निश्चित हो।

2. 8 मई 2003 आदेशानुसार लम्बी अवधि की खाद्य नीति पर उच्च स्तरीय कमेटी के परामर्श पर भारत सरकार के जवाब का इंतजार।

3. केन्द्र को निर्देश दिया जाए कि वह सभी राज्यों को गलत बी.पी.एल. सूची को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने के आदेश जारी करें। इन सूचियों को सही करने का काम ग्राम सभा, गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के परामर्श से पारदर्शिता के रूप में हो। इन सूचियों का सूक्ष्म परीक्षण व जाँच जल्द हो।

4. निर्देश जारी किया जाए कि राज्य सरकारें व केन्द्र शासित प्रदेश शहरी गरीबों को भूख से बचाने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण करें और उचित कदम उठाएं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार राज्य सरकारो को व उन गैर सरकारी संस्थाओ को भी जों शहरी गरीबों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की इच्छुक है को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएं।

5. राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह पुनः विचारित दिशानिर्देश जारी करें जिसमें सभी योग्य जरुरतमन्द नागरिकों को राशन कार्ड बाटें जाने के आदेश हो, इसमें बेघर भी शामिल हैं।

पारदर्शिता और जानकारी प्राप्त करने हेतू

1. निर्देश जारी किया जाए कि खाद्य एवं रोजगार सम्बन्धी सभी दस्तावेज, जिसमें आदेश 28 नवम्बर, 2001 में उल्लेखित दस्तावेज भी शामिल है, को जनता की पूंजी माना जाए, इन्हें जनता के अन्वेक्षण के लिए व सलाह–परामर्श के लिए व्यक्तिगत तौर पर हर समय खुला रखा जाए। ऐसे मामलों में जहाँ दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों की फोटो कापी के लिए अर्जी लिखी जाए उन्हें एक हफ्ते के अन्दर फोटो कॉपी अवश्य उपलब्ध कराइ जाए। फोटो कापी की कीमत उसकी लागत से अधिक न हो और किसी भी हालत में 1 रु. प्रति पेज से अधिक न हो।

2. निर्देश जारी किया जाए कि राज्य एवं भारत सरकार एक एफीडेविट लिखे जिसमें वह इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए जरूरी कार्य प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख करें और यदि रिकार्ड प्राप्त नहीं होते तो क्या उपाए उपलब्ध हैं का भी उल्लेख करें। इसमें उन उपायों का भी उल्लेख करे जो शिकायतों को अस्वीकार करने पर अपनाए जाएगें और इसमें लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

3. भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभाव में लाए। दिसम्बर 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता बिल 2002 पारित किया और 6.1.03 को राष्ट्रपति की सम्मति भी मिल गई। तथापि

अभीतक सरकार इस अधिनियम को सूचित ही कर रही हैं या इस अधिकार से संबंधित नियम और कार्य प्रणाली की रचना ही कर रही है।

4. राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह कोर्ट के आदेशों को शीघ्रता से चारों ओर प्रसारित करना निश्चित करे । दो हफ्ते के अन्दर जिला कलेक्टर व अन्य सम्बंधित अधिकारियो को इनका वितरण हो जो इन आदेशो के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। केन्द्र द्वारा भरी गई योजनाओं की उपलब्धि व विकास की रिपोर्ट राज्यौ की वेबसाईट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

नुक्सान की भरपाई के लिए मुयावजा

सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह निम्नलिखित रेट पर मुयावजा उपलब्ध कराए यदि प्रशासनिक उपेक्षा प्रमाणित हों, मिलने वाली भ्रष्टाचार की सूचना सच होने पर, या ऐसे मामलों में जहां लोगों को उनका हक न मिल रहा हो । इसका मूख्य उद्देश्य – हक में देरी, बकाया भुगतान और कार्ड वितरण की सच्चाइयों को भाषित करना है। विभिन्न राज्यों में की गई जमीनि यात्राओं के अर्न्तगत इन सब हकीकतों से मुठभेड़ हुई।

खाद्य सम्बन्धी सभी योजनाओं के लिए जिनमें नकद भुगतान किया जाता है जैसे एस.जी. आर.वाई के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान। पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।

- एक महिने से अधिक की देरी पर बकाया राशि का 10 प्रतिशत नकद भुगतान।
- एक साल से अधिक की देरी पर बकाया राशि का 25 प्रतिशत नकद भुगतान।

उस भुगतान के लिए जो अनाज के रूप में किए जाते हैं जैसे एस.जी.एस.वाई के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में, मध्याह्न भोजन योजना, बी.पी.एल हकदार , जनवितरण प्रणाली द्वारा अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में अनाज का हकदार योजना के अन्तर्गत यदि कार्डधारी हर महीने अनाज नहीं उठा पाता तो, मुल्य उपयोग की जिम्मेदारी के उद्देश्य से। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति तीन महीने तक अन्नपूर्णा अनाज नहीं उठा पाता तो उस कार्डधारी को मुयावजे के रूप में 150रू. दिए जाए (10 x 5 x 3)

तीसरे कमिश्नर की नियुक्ति

श्री हर्ष मंदर, एक्शन एड इंडिया के वर्तमान क्षेत्रीय निर्देशक की तीसरे कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोघ।